राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांक – एफ 1(2)ग्रावि/ नरेगा/ माद/2019

जयपुर दिनांक 24 MAY 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

विषय – महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कार्यों को पुनः प्रारम्भ करने बाबत्।
प्रसंग – गृह (ग्रुप–7) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक प.7 (1)गृह –7 / 2021 जयपुर दिनांक 23.05.2021 एवं विभागीय आदेश दिनांक 08.05.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में गृह (ग्रुप–7) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.7(1)गृह–7/2021 जयपुर दिनांक 23.05.2021 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यों के सम्बन्ध में अलग से निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें –

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के कार्यों को दिनांक 17 मई 2021 से पुनः प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया था। **सामुदायिक विकास के कार्यों को भी तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ किया जावे।**
2. व्यक्तिगत लाभ के कार्यों की वर्तमान संख्या को भी यथासंभव अधिकतम सीमा तक बढ़ाया जाना है, ताकि अधिकाधिक श्रमिकों का नियोजन हो सके। यह प्रयास किया जावे, कि लाभार्थी के स्वयं के परिवार सहित उस कार्य पर अधिकतम 10 श्रमिक ही नियोजित हों।
3. सामुदायिक कार्यों पर भी व्यक्तिगत कार्यों के समान 10 श्रमिकों को ही नियोजित किया जाएगा। ऐसे कार्यस्थल जहॉ पर सामुदायिक कार्य में एक कार्य पर 20 श्रमिक नियोजित किये जाने हैं, वहां पर उन्हें दो भागों में विभक्त कर दिया जाएगा, ताकि दोनों का एक दूसरे से किसी प्रकार संपर्क न रहे। इन दोनों के मध्य कार्य, विश्राम या भोजन के समय भी किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए।
4. नये सामुदायिक विकास के कार्यों के चयन की गति बढ़ानी है, ताकि समय पर नये काम लिए जा सकें। इन कार्यों की संख्या इतनी अधिक हो कि जिले में अब तक

नियोजित कुल श्रमिकों की संख्या की तुलना में अधिक श्रमिक ही नियोजित किए जा सकें। ताकि श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार कार्यों का आवंटन किया जा सके।

5. कोविड–19 महामारी से सुरक्षा हेतु गृह विभाग द्वारा जारी प्रतिबन्ध लागू होने की स्थिति में **माप एवं भुगतान** के संबंध में निर्देश –

अ) माप एवं भुगतान के संबंध में यदि कहीं बीमारी के कारण तकनीकी स्टाफ की अपरिहार्य कमी है, तो मेट द्वारा पखवाड़े में श्रमिकों द्वारा किये गये कार्य का माप मस्टररोल के पृष्ठभाग पर किया जावेगा जिसका सत्यापन, ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जावेगा। **मेट नहीं होने की स्थिति में ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ही माप किया जाकर, सत्यापन किया जावेगा।** उक्त प्रकार से सत्यापित माप के अनुसार सम्बन्धित तकनीकी सहायक द्वारा एमबी में इन्द्राज किया जाकर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जावे, ताकि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के अनुरुप भुगतान समय पर किया जा सके। परन्तु कार्य के पूर्ण होने/ अन्तिम भुगतान से पूर्व सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा पूर्ण माप का भौतिक सत्यापन किया जावेगा।

ब) उपरोक्त बिन्दु संख्या 5(अ) अन्तर्गत माप संबंधी नवीन प्रक्रिया, केवल कोविड संक्रमण के व्यापक दौर के लिए है। माप में मेट–ग्राम विकास अधिकारी आधारित व्यवस्था सामान्यतः कच्चे कार्यों के लिए ही मान्य होगी अर्थात् यह तालाब मरम्मत/ सुदृढीकरण/ पाल निर्माण, सड़क निर्माण में मिट्टी खुदाई कर मिट्टी की सड़क निर्माण कार्य, चारागाह विकास कार्य, पौधारोपण, मिट्टी का चैक डैम निर्माण, नहर डिसिल्टिंग, खाला सुदृढीकरण एवं अपना खेत, अपना काम योजनान्तर्गत मेडबन्दी, भूमि समतलीकरण, फार्म पौण्ड, मिट्टी के चैक डैम निर्माण आदि जैसे कार्यों के लिए ही लागू रहेगा। **अन्य कार्यो का माप एवं मूल्यांकन पूर्व अनुसार दिये गये निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।**

स) **यह व्यवस्था दिनांक 30.06.2021 तक अपरिहार्य स्थिति में ही कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी के आदेशानुसार ही उपयोग में ली जा सकेगी।**

द) मेट एवं ग्राम विकास अधिकारी सम्बन्धित तकनीकी सहायक/ तकनीकी अधिकारी के मार्गदर्शन में ही माप की कार्यवाही करेंगे।

6. लाईन विभाग यथा जल ग्रहण विकास, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग इत्यादि की भागीदारी बढाने हेतु स्वीकृत कार्यों पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्तानुसार निर्धारित सीमा के अनुरुप ही श्रमिकों का नियोजन किया जावे, एवं यदि कार्य स्वीकृत नहीं हों तो कार्यों की स्वीकृतियां जारी करवाई जाकर श्रमिकों का नियोजन किये जाने की कार्यवाही की जावे।

7. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत समस्त कार्यों पर विभागीय निर्देशानुसार निरीक्षण पूर्ववत ही किये जावेंगे।

8. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में विभागीय दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

9. कोविड –19 की रोकथाम/ संक्रमण न फैले इस हेतु अन्य योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों से कार्यस्थल पर प्रचार प्रसार भी कराया जावे।

10. कोविड महामारी से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग द्वारा जारी कोविड उपयुक्त प्रोटोकॉल की पालना कार्य स्थल पर श्रमिकों के आगमन से लेकर कार्य स्थल से प्रस्थान तक (कार्य के दौरान, विश्राम काल, भोजन एवं उपस्थिति इत्यादि) पूर्ण रुप से सुनिश्चित की जावे। साथ ही कार्यस्थल पर साबुन, पानी, सैनेटाईजर आदि की समुचित व्यवस्था हो व हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोने के बाद ही भोजन पानी उचित दूरी बनाकर किया जावे।

11. **कार्यस्थल पर मेट को पूर्व निर्देशों में आवन्टित कार्य के अतिरिक्त कोविड उपयुक्त व्यवहार का ध्यान रखने सम्बन्धी निर्देश –**

- श्रमिकों द्वारा ग्रुप में एक ही जगह कार्य न कर पृथक–पृथक कार्य न्यूनतम 2 गज की दूरी रखते हुए कराया जावे।
- यथासंभव एक श्रमिक का काम दूसरे से संपर्क में न रहे।
- श्रमिकों द्वारा एक दूसरे के कार्य औजारों (गेंती, फावड़ा, परात ईत्यादि) के साथ – साथ खाद्य सामग्री पर भी अनावश्यक रुप से हाथ न लगाए जावे अर्थात् एक दूसरे की सामग्री का उपयोग न करें।
- लंच/विश्राम समय में भोजन सामूहिक रुप से एक साथ बैठ कर नहीं करें। इसमे स्थान संबंधी आवश्यक दूरी बरती जावे।
- कोई श्रमिक कोविड संभावित लक्षण युक्त हो, तो उसे कार्य पर न लगाया जाए। उसके निकट परिजनों को अन्य श्रमिकों से पर्याप्त दूरी रखते हुए कार्य दिया जाए।
- कार्य स्थल पर बिना मास्क पहने कार्य नहीं कराया जाए।
- कार्यस्थल पर साबुन, पानी व सैनेटाईजर की समुचित व्यवस्था हो व हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने के बाद ही भोजन, पानी ग्रहण किया जावे।
- कार्यस्थल पर मेडिकल किट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो एवं मेट के पास ब्लॉक/ ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों व कन्ट्रोल रुम के

आवश्यक टेलीफोन नम्बर उपलब्ध होने चाहिए, ताकि वक्त जरुरत काम में आवे।

- विभागीय पूर्व निर्देशों के अनुसरण में टास्क पूरा करते ही श्रमिकों को एक–एक कर अपने निवास स्थान जाने हेतु कहा जाये। उन्हें कार्यस्थल पर अनावश्यक नहीं रोका जावे।

12. प्रत्येक कार्य स्थल पर गृह विभाग के प्रासंगिक आदेश दिनांक 23.05.2021 की **परिशिष्ठ 'ई' (संलग्न) में अंकित (कोविड उपयुक्त व्यवहार/ अनुशासन) की पालना सुनिश्चित कराई जावे।**

कोविड–19 महामारी हेतु राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(के.के.पाठक)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह(ग्रुप–7) राजस्थान जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस ।
7. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
8. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस जयपुर।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
12. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
13. एमआईएस शाखा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त जिलों को जरिये ईमेल भिजवाये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

24/05/21
आयुक्त, ईजीएस

कोविड उपयुक्त व्यवहार/अनुशासन (Covid Appropriate Behaviour)

a. **फेस मास्क (Face Mask): फेस मास्क पहनना** एक आवश्यक निवारक उपाय है। फेस मास्क पहनने में निम्न निर्देशों की पालना की जाए।

- अपना मास्क लगाने से पहले, साथ ही इसे उतारने से पहले और बाद में, और किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें।
- सुनिश्चित करें कि यह आपकी नाक, मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह कवर करें।
- जब आप किसी मास्क को उतारते हैं, तो उसे एक साफ प्लास्टिक बैग में स्टोर करें। कपड़े का मास्क है, तो उसे प्रतिदिन धो लें और मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दें।

सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। **"नो मास्क नो मूवमेन्ट"** की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी। **सार्वजनिक और कार्य स्थलों** पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने जैसी कार्यवाही की जावे।

b. **सामाजिक दूरी :**

सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे (Stay at Home) एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से मेलजोल कम रखे (Social Distancing)। जिससे की कोविड संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।

सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी ("2 गज की दूरी") बनाये रखेगा। भीड़–भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में **सामाजिक दूरी** बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।

c. सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छुने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें/सेनिटाईजर का उपयोग करें।

d. जिला मजिस्ट्रेट कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

e. **सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है** और जुर्माने से दण्डनीय है।

f. सार्वजनिक स्थानों पर **शराब, पान, गुटका, तम्बाकू** आदि का सेवन **निषिद्ध** है और जुर्माने से दण्डनीय है।